प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 25 सितम्बर, 2018

विषय-प्रदेश की कारागारों में आग से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन संयंत्रों की व्यवस्था के लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29327/आधु0-1/अग्निशम संयंत्र/2018 दिनांक 14.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में आग से बचाव के लिए अग्निशमन संयंत्रों की व्यवस्था हेतु 40 कारागारों में 01-01 अदद् वाटर मिस्ट एवं सीएएफ फायर फाइटिंग सिस्टम हेतु 117.53 लाख तथा 16 कारागारों के लिए 185 अदद्(06 किलो ग्राम क्षमता) फायर इन्सटिग्यूशर की व्यवस्था हेतु रू0 15.36 लाख अर्थात कुल रू0 132.89 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु शतप्रतिशत धनराशि 1,32,89,000/-(रूपया एक करोड़ बत्तीस लाख नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार 1 व 2 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) अग्निशमन का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जैम) के माध्यम से किया जायेगा।

(2) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-00-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव

संख्या-140/2018/1117(1)/22-4-18-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-140/2018/1117//22-4-18-48(5)/17, दिनांक-25.09.2018 का संलग्नक-1

| क्र0 | कारागार का नाम | प्रस्तावित संख्या | जैम पोर्टल पर दर प्रति यूनिट | कुल वित्तीय व्यय भार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला कारागार, मैनपुरी | 01 | 293819 | 293819 |
| 2 | जिला कारागार, मथुरा | 01 | 293819 | 293819 |
| 3 | जिला कारागार, कासगंज | 01 | 293819 | 293819 |
| 4 | जिला कारागार, झांसी | 01 | 293819 | 293819 |
| 5 | जिला कारागार, ललितपुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 6 | जिला कारागार, उरई | 01 | 293819 | 293819 |
| 7 | जिला कारागार, पीलीभीत | 01 | 293819 | 293819 |
| 8 | जिला कारागार, रामपुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 9 | जिला कारागार, बिजनौर | 01 | 293819 | 293819 |
| 10 | जिला कारागार, रायबरेली | 01 | 293819 | 293819 |
| 11 | जिला कारागार, हरदोई | 01 | 293819 | 293819 |
| 12 | जिला कारागार, सीतापुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 13 | जिला कारागार, खीरी | 01 | 293819 | 293819 |
| 14 | जिला कारागार, कन्नौज | 01 | 293819 | 293819 |
| 15 | जिला कारागार, बागपत | 01 | 293819 | 293819 |
| 16 | जिला कारागार, फतेहपुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 17 | जिला कारागार, प्रतापगढ़ | 01 | 293819 | 293819 |
| 18 | जिला कारागार, गाजीपुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 19 | जिला कारागार, जौनपुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 20 | जिला कारागार, मिर्जापुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 21 | जिला कारागार, सोनभद्र | 01 | 293819 | 293819 |
| 22 | जिला कारागार, ज्ञानपुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 23 | जिला कारागार, चित्रकूट | 01 | 293819 | 293819 |
| 24 | जिला कारागार, हमीरपुर | 01 | 293819 | 293819 |
| 25 | जिला कारागार, महराजगंज | 01 | 293819 | 293819 |
| 26 | जिला कारागार, देवरिया | 01 | 293819 | 293819 |
| 27 | जिला कारागार, बस्ती | 01 | 293819 | 293819 |
| 28 | जिला कारागार,सिद्वार्थनगर | 01 | 293819 | 293819 |
| 29 | जिला कारागार, सुल्तानुपर | 01 | 293819 | 293819 |
| 30 | जिला कारागार, बहराइच | 01 | 293819 | 293819 |
| 31 | जिला कारागार, गोण्डा | 01 | 293819 | 293819 |
| 32 | जिला कारागार, बलरामपुर | 01 | 293819 | 293819 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | जिला कारागार, आजमगढ़ | 01 | 293819 | 293819 |
| 34 | जिला कारागार, मऊ | 01 | 293819 | 293819 |
| 35 | जिला कारागार, बलिया | 01 | 293819 | 293819 |
| 36 | जिला कारागार, कौशाम्बी | 01 | 293819 | 293819 |
| 37 | उप कारागार, देवबन्द | 01 | 293819 | 293819 |
| 38 | उप कारागार, महोबा | 01 | 293819 | 293819 |
| 39 | आदर्श कारागार, लखनऊ | 01 | 293819 | 293819 |
| 40 | नारी बंदी निकेतन | 01 | 293819 | 293819 |
| | योग- | 40 | 11752760 | 11752760<br>अर्थात रू0 117.53 लाख |

**(रूपया एक करोड़ सत्रह लाख तिरपन हजार मात्र)**

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-140/2018/1117//22-4-18-48(5)/17, दिनांक-25.09.2018 का संलग्नक-2

| क्र0 | कारागार का नाम | आवश्यकता/प्रस्तावित | दर प्रति यूनिट | कुल लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जि0का0 मेरठ | 10 | 8300 | 83000 |
| 2 | जि0का0 गाजियाबाद | 6 | 8300 | 49800 |
| 3 | जि0का0 बागपत | 15 | 8300 | 124500 |
| 4 | जि0का0 मऊ | 5 | 8300 | 41500 |
| 5 | जि0का0 मथुरा | 5 | 8300 | 41500 |
| 6 | जि0का0 अलीगढ़ | 12 | 8300 | 99600 |
| 7 | जि0का0 बरेली | 8 | 8300 | 66400 |
| 8 | जि0का0 शाहजहॉपुर | 10 | 8300 | 83000 |
| 9 | जि0का0 कौशाम्बी | 10 | 8300 | 83000 |
| 10 | जि0का0 चित्रकूट | 25 | 8300 | 207500 |
| 11 | जि0का0 सुल्तानपुर | 10 | 8300 | 83000 |
| 12 | के0का0 फतेहगढ़ | 5 | 8300 | 41500 |
| 13 | जि0का0 फतेहगढ़ | 5 | 8300 | 157700 |
| 14 | जि0का0 वाराणसी | 19 | 8300 | 249000 |
| 15 | जि0का0 सोनभद्र | 30 | 8300 | 83000 |
| 16 | जि0का0 जौनपुर | 10 | 8300 | 83000 |
| | योग- | 185 | - | 1535500<br>अर्थात रू0 15.36 लाख |

**(अर्थात रूपया पन्द्रह लाख छत्तीस हजार मात्र)**

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।